सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 848 राँची, बुधवार, 30 अग्रहायण, 1938 (श०)
21 दिसम्बर, 2016 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

15 दिसम्बर, 2016

संख्या- परि०वि०(स.सु.)-144/2015-1589-- Supreme Court Committee on Road Safety द्वारा दिये गये निदेश तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के प्रावधानों के तहत् राज्य में एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया जाना आवश्यक है ।

सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने, सड़क सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए सम्यक् दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है । सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी हितधारकों को इस संबंध में लक्षित उद्देश्य को प्राप्त किया जाना शामिल है ।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन अधिसूचना संख्या-1435, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 द्वारा किया गया था। उक्त अधिसूचना को **Supreme Court Committee on Road Safety** के पत्रांक-16/2016/CoRS दिनांक 24 नवम्बर, 2016 में दिए गए निदेश के आलोक में संशोधित करते हुए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन निम्न प्रकार किया जाता है-

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्

1.	मुख्यमंत्री, झारखण्ड	-	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह, आपदा एवं मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग	-	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग	-	सदस्य
5.	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	-	सदस्य
6.	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त-सह-योजना विभाग	-	सदस्य
7.	प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग	-	सदस्य
8.	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	-	सदस्य
9.	प्रधान सचिव/सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	-	सदस्य
10.	प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग	-	सदस्य
11.	महानिदेशक-सह- पुलिस महानिरीक्षक	-	सदस्य
12.	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सिविल एवं इन्वॉयरमेन्टल इंजिनियरिंग, बी.आई.टी. मेसरा, राँची	-	सदस्य
13.	निदेशक, आई.आई.एम., राँची	-	सदस्य
14.	मेयर, नगर निगम, राँची	-	सदस्य
15.	अध्यक्ष, झारखण्ड बस ऑनर्स एशोसिएशन, रांची	-	सदस्य
16.	अध्यक्ष, ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज एसोशिऐशन, राँची	-	सदस्य
17.	राज्य परिवहन आयुक्त	-	सदस्य सचिव

कृत्य :-

1. राज्य सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी ।

2. सड़क सुरक्षा की देखरेख एवं सड़क सुरक्षा हेतु अल्कोमीटर गति अनुमान, इंटरसेप्टरस इत्यादि यंत्र, यातायात उल्लंघन करने वालो का पता लगाने के लिए सी०सी०टी०वी० कैमरे आदि की व्यवस्था में की गयी पहल की समीक्षा एवं अनुश्रवण ।

3. राजमार्गो पर दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु यातायात सुरक्षा तकनीकों को अंगीकृत करने तथा राजमार्गो पर गश्ती को मजबूत बनाने संबंधी व्यवस्था का अनुश्रवण ।

4. सड़क के किनारे लगे होर्डिंग एवं अनावश्यक वस्तुओं जो चालक को वाहन चालन में बाधा डालती है या विचलित करती है, को हटाने हेतु उठाये जाने वाले कदम का अनुश्रवण ।

5. राष्ट्रीय राजमार्गो एवं राज्य उच्च पथ पर सड़क दुर्घटना से संबंधित "Black Spots" के पहचान एवं उसके निराकरण के कार्यो का अनुश्रवण करना ।

6. चालको के कौशल की जांच एवं चालक अनुज्ञप्ति निर्गमन के लिए सेन्सर आधारित कम्प्यूटरीकृत ट्रैक की व्यवस्था एवं अन्य उपायों के संबंध में नीति निदेश देना ।

7. वर्ष 2020 तक वर्त्तमान दुर्घटनाओं से 50% कमी लाने हेतु रोड मैप का निर्माण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण ।

8. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्गत अनुदेशों का अनुपालन की समीक्षा एवं उसका पर्यवेक्षण ।

9. राज्य में सड़क सुरक्षा प्रभावी बनाने हेतु किये जाने वाले उपायों के लिए दिशा निदेश देना ।

बैठक :-

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक का आयोजन होगा।

पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-1435 दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- (अस्पष्ट),
सरकार के प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 848–50